न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:-गौरव कुमार मित्तल(आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
04/2023	31.03.2023	26/1/2026

1. सांवलिया पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थित:-

श्री रंगलाल गुर्जर एड0 प्रार्थी की ओर से।

:- निर्णय -:

- प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी ग्राम सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर का निवासी है, प्रार्थी के पिताजी का नाम कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल है। प्रार्थी तीन भाई, व एक बहन, व एक मॉं है जिनके नाम शंभू, श्रीनारायण, रामकुंवार, बहन का नाम राजन्ती, व मॉं का नाम कस्तूरी है। प्रार्थी के पिताजी कन्हैयालाल का स्वर्गवास सन 2005 में हो गया था, जिसके बाद पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 249 भरा गया जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2005 को स्वीकार कर लिया गया, इस नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम तीन नम्बर पर कालू लिख दिया गया, जबकी प्रार्थी का वास्तविक नाम सांवलिया है। जिसके कारण राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी का नाम सांवलिया के स्थान पर कालू नाम अंकित कर दिया गया। जबकी प्रार्थी के जितने भी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, इत्यादि में

नाम सांवलिया है। प्रार्थी की बहन राजन्ती व मां कस्तूरी ने प्रार्थी व प्रार्थी के तीनो भाई रामकुंवार, शंभू, श्रीनारायण के पक्ष में हक त्याग कर दिया था, जिससे राजस्व अभिलेखो में भूमि चारो भाईयो के नाम 1/4 का अंकन हो गया है। जमाबंदी सम्वत 2076–2079, खसरा गिरदावरी, व नामान्तकरण की नकल साथ में प्रस्तुत है। प्रार्थी अनपढ ग्रामीण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। पढना लिखना नही जानता है, प्रार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति से कृषि ऋण लेने हेतु अपने दस्तावेज व जमाबंदी लेकर गया, तब जानकारी दी गयी कि जमीन की जमाबंदी में तो आपका नाम कालू है और आपके अन्य जो सरकारी दस्तावेज है उसमे आपका नाम सांवलिया है, आप जमाबंदी से आपका नाम कालू हटवाकर आपका वास्तविक नाम सांवलिया संशोधित करवाकर लाओ तब जाकर आपकी ऋण पत्रावली लगेगी। तब ही ऋण स्वीकृत होगा तब जाकर प्रार्थी को पता चला कि मेरा नाम जमाबंदी में गलत लिख दिया गया है। इस संबंध में प्रार्थी ने पटवारी हल्का पटवारी सुनारी व तहसीलदार सवाई माधोपुर को कई प्रार्थना पत्र दियें, जिस पर नाम संशोधित करवाने की कोई कार्यवाही नही हुई, दिनांक 20.01.2023 को तहसीलदार महोदय सवाई माधोपुर को प्रार्थना पत्र नाम संशोधन करवाने का सभी दस्तावेज लगाकर दिया तो उन्होने कहा कि यह संशोधन हम नही कर सकते, न्यायालय से नाम संशोधन करवाने का आदेश करवाना पडेगा। इसलिए प्रार्थी श्रीमान के यहाँ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेजो में सांवलिया है, और नामान्तकरण में कालू नाम पटवारी द्वारा सहवन से बिना जॉच किये लिख दिया गया है, जिसका आगे भी जमाबंदी में व राजस्व अभिलेखा में कालू नाम अंकित होने के कारण प्रार्थी को कोई भी सरकारी सहायता व ऋण उपलब्ध नही हो पा रहा है जिसके कारण प्रार्थी सभी सरकारी व अन्य लाभो से वंचित हो रहा है। इसलिए प्रार्थी का राजस्व अभिलेखो में कालू के स्थान सांवलिया संशोधित किया जाना न्याय संगत है। इसलिए यह नाम संशोधित करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर अधीन धारा 136राजस्थान

भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है किप्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी का नाम कालू के स्थान पर सांवलिया संशोधित किये जाने का कृपापूर्ण आदेश प्रदान किया जावें।

- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2076–79 ग्राम सुनारी खाता संख्या 399 किता 20 रकबा 9.16 है0 पर कालू पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज है। वादी के पिता के फौत हो जाने पर विरासत में आम बोलचाल में वादी का नाम कालू दर्ज करवा दिया था तभी से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कालू पुत्र कन्हैयालाल चला आ रहा है। मुताबिक संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, केसीसी बैंक डायरी में सांवलिया पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व फर्द मौका दिनांक 08.09.2025 में कालू व सांवलिया एक ही व्यक्ति है।
- प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि प्रार्थी के पिताजी कन्हैयालाल का स्वर्गवास सन 2005 में हो गया था, जिसके बाद पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 249 भरा गया जो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2005 को स्वीकार कर लिया गया, इस नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम तीन नम्बर पर कालू लिख दिया गया, जबकी प्रार्थी का वास्तविक नाम सांवलिया है। जिसके कारण राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी का नाम सांवलिया के स्थान पर कालू नाम अंकित कर दिया गया। जबकी प्रार्थी के जितने भी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, इत्यादि में नाम सांवलिया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश किया है प्रार्थी उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सुनारी के खाता सख्या 399 कुल किता 20 रकबा 9.16 हैक0 में अपना नाम कालू के स्थान पर सावलिया दर्ज करना चाहता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट का अवलोकन पर प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने पर विरासत में आम बोलचाल में वादी का नाम कालू दर्ज करवा दिया था तभी से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कालू पुत्र कन्हैयालाल चला आ रहा है। पत्रावली का अवलोकन करने तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में त्रुटि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नही होना पाया गया है तथा जो भी त्रुटि हुयी है वह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय हुयी है। भू प्रबन्ध विभाग की गलती नही होने के कारण उक्त प्रकरण 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नही आता है। अतः उक्त प्रकरण खारिज योग्य है।

:— कियात्मक आदेश —:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28/1/2026 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली ल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर